

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(34)एम.ई./ग्रुप-1/27

जयपुर, दिनांक

19/2/13

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम 1962 के नियम-24-ए (8) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर निम्नांकित चिकित्सकों को आचार्य निश्चेतन के पद पर वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर वर्ष 2010-11 की रिक्तियों के प्रति पदोन्नति किया जाता है:-

क्र०सं०	नाम चिकित्सक	पदोन्नति का वर्ष	पदोन्नति का आधार
1.	डॉ० एस.एस. खंगरोत	2010-11	वरिष्ठता सह योग्यता
2.	डॉ० उषा बाफना	2010-11	वरिष्ठता सह योग्यता
3.	डॉ० हिफजुर्रहमान	2010-11	वरिष्ठता सह योग्यता
4.	डॉ० एस. आर. मीणा (एसटी)	2010-11	वरिष्ठता सह योग्यता

उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप इन चिकित्सकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेजों में आचार्य निश्चेतन के पद पर तुरन्त प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है :-

क्र.सं.	चिकित्सक का नाम	वर्तमान पदस्थापन	पदोन्नति पर नवीन पदस्थापन	विशेष विवरण
1.	डॉ० एस.एस. खंगरोत	सह आचार्य निश्चेतन मेडिकल कॉलेज, कोटा	मेडिकल कॉलेज कोटा	पदोन्नति पर डॉ० खंगरोत दिनांक 28.02.13 (मध्याह्न बाद) को आचार्य निश्चेतन के रिक्त होने वाले पद पर जोईन करेंगे।
2.	डॉ० उषा बाफना	सह आचार्य निश्चेतन मेडिकल कॉलेज, जयपुर	मेडिकल कॉलेज जयपुर	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
3.	डॉ० हिफजुर्रहमान	सह आचार्य निश्चेतन मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	मेडिकल कॉलेज बीकानेर	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
4.	डॉ० एस. आर. मीणा (एसटी)	सह आचार्य निश्चेतन मेडिकल कॉलेज, जयपुर	मेडिकल कॉलेज जयपुर	पदोन्नति पर रिक्त पद पर.

आज्ञा से,



शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय जी।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर, जयपुर, कोटा।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, उप शासन सचिव, शासन सचिवालय।
6. संबंधित चिकित्सक द्वारा प्रधानाचार्य।
7. निजी/रक्षितपत्रावली।


सहायक शासन सचिव